राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.5(33)नविवि / ।।/ 2015 जयपुर दिनांक : 23 APR 2019

1. समस्त विकास प्राधिकरण।
2. समस्त नगर विकास न्यास।

परिपत्र

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधीन प्राधिकरणों / न्यासों में अभियन्ता नियुक्त किये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के राजस्थान अभियन्ता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 लागू करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाती रही है।

इस प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त / कार्यरत् अभियन्ता की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों की अनुकम्पात्मक आधारों पर नियुक्ति दिये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. विभाग के अधीन प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों में नियुक्त अभियन्ता संवर्ग के अभियन्ता की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को पात्रता अनुसार अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में **"राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996"**, जिन्हें आगे अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 सम्बोधित किया गया है, लागू होंगे।
2. आश्रितों द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत् आवेदन, मृत्यु के समय जिस प्राधिकरण / न्यास में कार्मिक सेवारत् था, के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं वहाँ से आवेदन की विधिवत जॉच की जाकर प्रकरण नियुक्ति हेतु पात्र पाये जाने पर स्पष्ट अभिशंषा एवं रिक्त पदों के विवरण के साथ शासन को प्रेषित किया जावेगा।
3. राज्य सरकार की स्वीकृति से पात्र आश्रित को मृतक कर्मचारी के मृत्यु के समय कार्य करने के प्राधिकरण / न्यास में ही नियुक्ति दी जावेगी परन्तु संबंधित प्राधिकरण / न्यास में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार के विशेष निर्देशो के तहत् प्रकरण अन्य प्राधिकरण / न्यास को भी भिजवाया जा सकेगा, उस स्थिति में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा संदर्भित प्राधिकरण / न्यास द्वारा की जावेगी।
4. किसी प्राधिकरण / न्यास द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके प्राधिकरण / न्यास द्वारा नियंत्रित संवर्गो में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया जाकर इन्हे लागू कर लिया गया है।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 2014 में मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के प्रावधान है। जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण में अनुकम्पा आधार पर कोई नियुक्ति दिये जाने की स्थिति में इन विनियमों के प्रावधान भी लागू होंगे।

इस परिपत्र के प्रावधान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में शासन स्तर पर प्राधिकरणों / न्यासों के कार्य—कलापों हेतु नियुक्त कार्मिको के साथ—साथ प्राधिकरणों / न्यासों के नियंत्रणाधीन कार्मिकों के लिए भी अक्षरशः लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञासे,

(कन्हैयालाल स्वागी)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. समस्त अनुभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन सहायक सचिव—द्वितीय